अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या– 04/2016–17

रोया राम तिरिया।

बनाम

शंभु चातोम्बा एवं अन्य।

आदेश

यह दीवानी वाद दिनांक– 03.06.2016 को रोया राम तिरिया, पिता– स्व० मानसिंह तिरिया, ग्राम– कुन्दरीझोर, पो०– मालुका, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule में वर्णित भूमि Declaration के लिए प्रतिवादी संख्या 1. शंभु चातोम्बा, 2. अमर चातोम्बा, 3. राहूल चातोम्बा, 4. Minor डीमन चातोम्बा, सभी के पिता– स्व० लखन चातोम्बा, 5. शांति कुई, पति– स्व० लखन चातोम्बा एवं 6 अन्य, ग्राम– कुन्दरीझोर, पो०– मालुका, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। नोटिस भेजा गया परन्तु सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी वाद भूमि के लिए वादी प्रतिवादी द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

11.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.11.12 12:11:40 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner